भोपाल | शुक्रवार | 21 अगस्त 2026 | वर्ष 70 | अंक 208 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

वंदे मातरम पर छंदों की जंग

दो छंद ही गाने के फैसले पर कांग्रेस व भाजपा आमने-सामने

नई दिल्ली, 20 अगस्त. राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को लेकर सियासी घमासान मच गया है. एक तरफ जहां कांग्रेस इस गीत के दो छंद गाने पर ही अड़ी हुई है. वहीं बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण से जोड़कर कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के टुकड़े करने का आरोप लगाया है. पूरा मामला स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस ऑफिस में झंडावंदन के दौरान पूरा वंदे मातरम् गीत बजने पर शुरू हुआ.

जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी ने इस गीत के दो पैराग्राफ के बाद भी इसे गाते रहने पर आपत्ति जताई. इसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने 1937 में लिए गए पार्टी के स्टैंड के साथ ही रहने का फैसला किया. इस फैसले के मुताबिक, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 6 छंद को कांग्रेस नहीं गाएगी. सिर्फ शुरुआती दो छंद ही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गाएंगे. जबकि, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम, 2026 लाया है. इसके तहत अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने या इसके गायन में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है. गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़ा है. देश में तुष्टिकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी. 1937 में कांग्रेस ने जो फैसला लिया था, उसे पीएम मोदी ने सुधारा है. उन्होंने कहा- कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के दो टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था. उस फैसले से दो-राष्ट्र सिद्धांत को मजबूती मिली और आगे चलकर देश का विभाजन हुआ.

सिर्फ 2 छंद इसलिए अपनाए

विरोध के बावजूद जब देश को आजादी मिली. तब इस गीत के कुछ हिस्से को स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा के रूप में महत्व देते हुए सहेजा गया. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत बनाने का फैसला लिया, लेकिन इसके सिर्फ शुरुआती 2 ही छंद को अपनाया गया.

गीत से नाराजगी की असल वजह

गीत के शुरुआती 2 छंदों के बाद के हिस्से में मातृभूमि की देवी की छवि ने मुसलमानों को अलग-थलग कर दिया. वहीं बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में इस गीत को स्थान मिलने से मुसलमान भड़के थे. क्योंकि, आनंदमठ में इस गीत का इस्तेमाल उस हिस्से में किया गया था, जहां मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ संन्यासी विद्रोह की बात की गई है. इस तरह यह गीत कम राष्ट्रवादी और अधिक सांप्रदायिक होता चला गया.

मणिपुर में सीएम का पुतला फूंका

इंफाल. जेएएफडी के प्रदर्शनकारियों ने इंफाल के खुरई लामलोंग इलाके में मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह और गृह मंत्री गोविंददास कोंथौजम के पुतले जलाए. अधिकारियों के अनुसार, इंफाल पश्चिम.मणिपुर में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को तीन दिन के लिए बंद रखने का फैसला किया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान 20 से 22 अगस्त तक बंद रहेंगे.

सभी जिलों के उपायुक्तों, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आदेश लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं. 'कैम्पेन फॉर जस्ट एंड फेयर डीलिमिटेशन' की ओर से 48 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया गया है.

लाठीचार्ज का सामने आएगा सच

जस्टिस रेड्डी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय सुप्रीम जांच समिति गठित

नई दिल्ली, 20 अगस्त. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन और लाठीचार्ज के विपक्ष के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी है. समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे. अदालत की ओर से गठित इस पैनल के सामने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और बल प्रयोग से जुड़े विभिन्न आरोपों की पड़ताल की जिम्मेदारी होगी.

आर. सुभाष रेड्डी | रवि शंकर झा | शालिंदर कौर | ऋषि शुक्ला | एलआर बिश्नोई

समिति में पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है. जस्टिस आर सुभाष रेड्डी के अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शालिंदर कौर, पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला तथा मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक डॉ. एलआर बिश्नोई सदस्य होंगे. जांच का दायरा प्रदर्शनकारियों की शिकायतों तक सीमित नहीं रखा गया है. समिति पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोपों पर भी विचार करेगी. इस तरह पैनल प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई के साथ-साथ अधिकारियों की ओर से लगाए गए दूसरे आरोपों को भी जांच के दायरे में रखेगा.

प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान के मुआवजा पर भी सुझाव

घायलों को उपलब्ध कराई गई चिकित्सीय सहायता भी जांच के दायरे में रहेगी. इसके साथ ही प्रभावित लोगों को मुआवजा देने से जुड़े पहलुओं की भी समीक्षा की जाएगी. एक ओर सुरक्षा बलों पर कथित अत्यधिक कार्रवाई के आरोप हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के दावे हैं.

एक नजर में

7 साल बाद भारत आएंगे जिनपिंग

नईदिल्ली. भारत में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा. इस बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हो सकते है. यदि यह दौरा होता है तो अक्टूबर 2019 के बाद जिनपिंग की भारत की पहली यात्रा होगी. ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच संभावित द्विपक्षीय बैठक पर नजर रहेगी. दोनों देशों के रिश्तों में सीमा विवाद सबसे संवेदनशील विषय बना हुआ है.

सीबीआई होगी आजाद

सरकार कानून में संशोधन के साथ तलाश रही विकल्प

नई दिल्ली, 20 अगस्त. केंद्रीय जांच ब्यूरो को राज्यों में निर्बाध तरीके से जांच करने में आ रही कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन की संभावना पर विचार कर रही है.

मौजूदा व्यवस्था में सीबीआई को किसी राज्य में जांच के लिए कई परिस्थितियों में संबंधित सरकार की सहमति की जरूरत पड़ती है. आठ राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बाद एजेंसी के कामकाज को लेकर यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है. सीबीआई को अपने अधिकार डीएसपीई अधिनियम से मिलते हैं, लेकिन कानून में सीधे तौर पर सीबीआई 'नाम का उल्लेख नहीं है. इसी कानूनी स्थिति को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है. सरकार इस मामले में कानूनी राय ले रही है और यह भी देख रही है कि मौजूदा समस्या का समाधान केवल कानून में संशोधन से होगा या इसके लिए कोई अन्य विकल्प अपनाया जा सकता है. वहीं आठ राज्यों ने सहमति वापस ले ली है.

सज्जन कुमार की तिहाड़ में मौत

सिखों की हत्या के आरोप में काट रहे थे उम्रकैद

नई दिल्ली, 20 अगस्त. पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को दोपहर 12.30 बजे 84 वर्ष की उम्र में जेल में मौत हो गई. वे आल्टर्ड सिंसोरियम बीमारी से ग्रस्त थे.

उन्हें अचेत अवस्था में तिहाड़ जेल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनकी मृत्यु का कारण अस्पताल की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है. कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे. वे दिल्ली की राजनीति

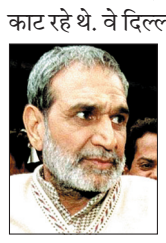

में लंबे समय तक सक्रिय रहे और बाहरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से तीन बार सांसद चुने गए. हालांकि, 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में भड़की हिंसा से जुड़े मुकदमों ने उनके राजनीतिक जीवन को गहरे विवाद में डाल दिया. वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें पांच सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. मामले में अदालत ने उनके खिलाफ हत्या और हिंसा भड़काने समेत कई आरोपों पर दोष सिद्ध माना था. 2025 एवेन्यू कोर्ट ने अन्य मामले में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के लिए उन्हें दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

सोरेन सरकार को झटका परीक्षा रद्द करने पर रोक

हाईकोर्ट ने विवाद के बीच किया हस्तक्षेप

रांची, 20 अगस्त. झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने अहम हस्तक्षेप किया है. अदालत ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़े मामलों में सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट से छात्रों को राहत

झारखंड सरकार द्वारा 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ प्रभावित उम्मीदवारों द्वारा शुरू की गई कानूनी लड़ाई तेज हो गई है. उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने के बाद इसमें एक और मोड़ आ गया है. अदालत ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामलों के याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लेने का निर्देश भी दिया गया है.